मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल-462004

//आदेश //

भोपाल,दिनांक अगस्त, 2026

क्रमांक- 1/1/3/0014/2026-Sec-1-05(CT),- राज्य शासन द्वारा उपायुक्त, वाणिज्यिक कर के पद से अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर के पद पर वर्ष 2025 की रिक्तियों के संदर्भ में दिनांक 29.07.2026 को सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में अनुशंसा अनुसार निम्नलिखित उपायुक्त, वाणिज्यिक कर को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर के पद पर सातवें वेतनमान में वेतन मेट्रिक्स लेवल-15 (123100-215900) में अस्थायी रूप से पदोन्नत किया जाता है:-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत पदस्थापना
1	श्री सपन कुमार सोनटके	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (कार्यवाहक प्रभारी अपर आयुक्त), परिक्षेत्र जबलपुर	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, परिक्षेत्र जबलपुर
2	श्री आर.के. शर्मा	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (कार्यवाहक प्रभारी अपर आयुक्त), कार्यालय वाणिज्यिक कर आयुक्त, मुख्यालय इंदौर	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, कार्यालय वाणिज्यिक कर आयुक्त, मुख्यालय इंदौर
3	श्री मनोज कुमार चौबे	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (कार्यवाहक प्रभारी अपर आयुक्त), कार्यालय वाणिज्यिक कर आयुक्त, मुख्यालय इंदौर	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, कार्यालय वाणिज्यिक कर आयुक्त, मुख्यालय इंदौर
4	श्री प्रदीप कुमार दुबे	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (कार्यवाहक प्रभारी अपर आयुक्त), परिक्षेत्र भोपाल	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, परिक्षेत्र भोपाल

2/ उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिए होंगी।

3/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमाक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के उपबंधों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा किये गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा-6 की उप धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

4/ उपरोक्त समस्त पदोन्नतिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित विशेष अनुमति याचिका क्रमांक 13954/2016 एवं SLP (C) No. 6295/2023 के आदेश के अध्यधीन रहते हुए तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एव उच्च न्यायालय द्वारा भविष्य में पारित किए जाने वाले आदेशों के अध्यधीन होंगी।

5/ समस्त पदोन्नत लोक सेवकों को अपने निम्न पद के कार्यभार से उच्च पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल प्रभाव से भारमुक्त किया जाता है।

6/ जिन पदोन्नत शासकीय सेवकों को इस आदेश द्वारा स्वीकृत वेतनमान अथवा इससे उच्च वेतनमान पूर्व में समयमान वेतनमान योजना के अतर्गत स्वीकृत किया जा चुका है उन्हें छोडकर शेष शासकीय सेवकों को मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के नियम 13 के अनुसार आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर वेतन निर्धारण संबंधी विकल्प प्रस्तुत करना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
Rajesh Ogrey
Date: 06-08-2026
18:43:11

(राजेश ओगरे)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग

पृ. क्रमांक 1/1/3/0014/2026-Sec-1-05(CT) भोपाल, दिनांक अगस्त 2026

प्रतिलिपि-

1. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश भोपाल।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, वाणिज्यिक कर विभाग।
3. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वाणिज्यिक कर विभाग।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
5. आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश, इंदौर। उक्त आदेश को वाणिज्यिक कर विभाग की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल।
7. कोषालय अधिकारी जिला ------------- ।
8. संबंधित अधिकारी श्री ....

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग